राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. दांडिक अपील (एसबी) संख्या 116/2024

निर्मल उर्फ मोटा पुत्र बलदेव सिंह, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी (किरायेदार) वार्ड नं. 18, खतेरपाल मंदिर के पास, सेठिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर। (वर्तमान में केंद्रीय जेल, श्रीगंगानगर में निरुद्ध)

-----अपीलार्थी

विरुद्ध

राज्य राजस्थान, जरिये पीपी

-----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री उमेश कांत व्यास

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री वी.एस. राजपुरोहित, डिप्टी जी.ए.

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

<u>आदेश</u>

रिपोर्ट करने योग्य

<u>08/04/2025</u>

1. यह दांडिक अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1, श्रीगंगानगर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 17/2017 (सीआईएस संख्या 52/2016) में दिनांक 31.10.2023 को पारित उस निर्णयादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 7/25 के तहत दोषसिद्ध किया गया था और 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ सात वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी और जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 03.03.2016 को पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर के उप-निरीक्षक भूप सिंह को अभिकथित रूप से एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का देशी निर्मित रिवॉल्वर अपने कब्जे में लिए हुए पीपल के पेड़ और शिव

मंदिर के पास खड़ा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ अभिकथित रूप से अपीलार्थी खड़ा था। तलाशी करने पर, अपीलार्थी की पैंट की दाहिनी जेब में एक देशी निर्मित रिवाल्वर पाया गया। उपर्युक्त के आधार पर, आयुध अधिनियम की धारा 5/25 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 99/2016 दर्ज की गई और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। प्रायिक अन्वेषणोपरांत, आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप विरचित किए जाने के प्रश्न पर पक्षकारों को सुना और तत्पश्चात आयुध अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 25 के अंतर्गत आरोप विरचित किए। यह उल्लिखित करना सुसंगत है कि, अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का मत था कि बरामदशुदा हथियार आयुध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले अपराध की परिभाषा के अधीन आता है, यही कारण है कि अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 25 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 3 के स्थान पर धारा 7 को लागू करने का आधार जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर की एक रिपोर्ट प्रतीत होती है, जिसमें यह कहा गया था कि अभिगृहित हथियार प्रतिषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

4. विचारण आरंभ हुआ, जिसके दौरान कुल 10 गवाहों को परीक्षित किया गया और आरोप को साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों पर निर्भरता रखी गई। पिस्तौल (वस्तु 1) को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। तत्पश्चात, सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उसने आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया; हालांकि, कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात्, विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी पाया और उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार उसे दोषसिद्ध किया एवं दंडादेश दिया। दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश इस न्यायालय में चुनौती के अधीन हैं।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश श्रीमाली तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. राजपुरोहित को सुना गया एवं मामले के अभिलेख का बारीकी से परीक्षण किया गया। मेरे विचार निम्नलिखित है:

5.1. पीडब्ल्यू-7 उप-निरीक्षक भूप सिंह को विचारण के दौरान परीक्षित किया गया और उसने प्रदर्श पी-6 रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया। अपीलार्थी की तलाशी और उसकी पैंट की दाहिने जेब से देशी पिस्तौल की बरामदगी के संबंध में उसकी अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है। बरामदगी का तथ्य अभियोजन गवाह नरपत सिंह और जोगेंद्र सिंह द्वारा संपुष्ट किया गया है। उनकी गहनता से प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन ऐसा कुछ अभिलेख पर नहीं आया जिससे उनके परिसाक्ष्य को नासाबित करने के लिए कोई शंका या संदेह उत्पन्न होती हो।

5.2. इस आशय की साक्ष्य पीडब्ल्यू-8 जोगेन्द्र सिंह व पीडब्ल्यू-1 सतीश के बयानों से और अधिक संपुष्ट होती है। प्रदर्श पी-1 देशी निर्मित रिवॉल्वर की फर्द जब्ती है एवं प्रदर्श पी-2 हथियार की संरचना से संबंधित है। दिलचस्प रूप से, हथियार का सत्यापन करने अथवा उसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसे प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा गया था। यद्यपि प्रदर्श पी-5 एक पत्र, आर्मरर पीडब्ल्यू-5 राजेंद्र प्रसाद को लिखा गया था, किंतु अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आर्मरी की शाखा अथवा विषय में उसकी विशेषज्ञता दर्शित होती हो। वह मात्र एक एफ.सी. (फील्ड सिपाही) है, जो कि आर्मरर के रूप में रिजर्व पुलिस लाईन, श्री गंगानगर में तैनात था। उसने कथन किया कि पुलिस थाना श्रीगंगानगर द्वारा उसे एक पैकेट भेजा गया था, जिसमें जंग लगा हुआ 0.38 बोर का रिवॉल्वर था। उसके अनुसार, जब्त किया गया रिवॉल्वर अग्न्यायुध की श्रेणी में आता है। तथापि, उसने यह दावा नहीं किया कि यह आयुध अधिनियम में यथापरिभाषित विनिषिद्ध अग्न्यायुध की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उसने स्वीकार किया कि उसने ऐसी कोई राय व्यक्त नहीं की थी कि अभिगृहीत वस्तु प्रतिषिद्ध अग्न्यायुध की श्रेणी में आती है।

5.3. अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि उक्त वस्तु प्रतिषिद्ध आयुध की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

5.4. आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 2(1)(i) प्रतिषिद्ध आयुधों को परिभाषित करती है। संदर्भ के लिए, उपबंध इस प्रकार है:

"(i) *"प्रतिषिद्ध आयुध"* से अभिप्रेत—

(i) इस प्रकार से परिकल्पित या अनुकूलित अग्न्यायुध कि, यदि ट्रिगर पर दबाव डाला जाए, तो प्रक्षेपास्त्र तब तक लगातार फैंके जाते रहें, जब तक कि ट्रिगर पर से दबाव हटा न लिया जाए अथवा प्रक्षेपास्त्रों को धारण करने वाली मैगजीन खाली न हो जाए, अथवा

(ii) किसी भी विवरण के ऐसे आयुध, जो किसी हानिकारक द्रव, गैस या अन्य ऐसी वस्तु के निस्सरण के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किए गए हों, तथा इसमें तोपखाना, विमानभेदी और टैंक-रोधी अग्न्यायुध तथा ऐसे अन्य आयुध सम्मिलित हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध आयुध के रूप में विनिर्दिष्ट करे;"

5.5. परिभाषा के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल वही वस्तुएँ, जो उसमें उल्लिखित मानदंडों के अनुरूप हों, प्रतिषिद्ध आयुध के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व था कि वह वैज्ञानिक, अकाट्य, और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करे ताकि यह सिद्ध हो सके कि अभिगृहीत वस्तु उस प्रकार की थी, जो आयुध अधिनियम की धारा 2(1)(i) के अंतर्गत परिभाषित थी। अपीलार्थी से अभिकथित रूप से अभिगृहीत की गई वस्तु की विनिर्दिष्ट प्रकृति को उपदर्शित करने वाली ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

5.6. आयुध अधिनियम की धारा 3 यह उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, या वहन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति न हो। धारा 3 के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि वैध अनुज्ञप्ति के बिना किसी आयुध को अपने कब्जे में रखना उक्त उपबंध के अधीन अपराध का गठन करता है, जो अधिनियम की धारा 25 के अधीन दण्डनीय है।

5.7. आगे बढ़ने से पहले, आयुध अधिनियम की धारा 7 पर चर्चा करना आवश्यक है जो प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद के अर्जन या कब्जे, या निर्माण या बिक्री पर प्रतिषेध से संबंधित है। संदर्भ की सुगमता के लिए, आयुध अधिनियम की धारा 7 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"7. प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद के अर्जन या कब्जे, या निर्माण या बिक्री पर प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति—

(a) अर्जन करे, अपने कब्ज़े में रखे या वहन करे; या

(b) 1 [उपयोग, विनिर्माण] विक्रय, अंतरित, संपरिवर्तित, मरम्मत, परीक्षण या साबित करें; या

(c) किसी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद को विक्रय के लिए प्रदर्शित या विक्रय के लिए प्रस्थापित अथवा अंतरण करे या विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परीक्षण या साबित करने के लिए अपने कब्जे में रखे, जब तक कि उसे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो।।"

इस उपबंध के परिशीलन मात्र से, यह सुस्पष्ट है कि यह धारा विनिर्दिष्ट रूप से धारा 2(1)(i) और 2(1)(h) में परिभाषित "प्रतिषिद्ध हथियार" और "प्रतिषिद्ध गोला-बारूद" पर लागू होती है, जिनमें प्रायः स्वचालित अग्न्यायुध और कुछ सैन्य-श्रेणी के हथियार शामिल होते हैं। वे प्रतिषिद्ध आयुधों या गोला-बारूद को संचालित नहीं कर सकते जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो।

5.8 आयुध अधिनियम की धारा 2(1)(i) "प्रतिषिद्ध आयुधों" को ऐसे रूप में परिभाषित करती है जिन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि, एक बार ट्रिगर दब जाने पर, हथियार लगातार स्वचालित रूप से प्रक्षेपास्त्र छोड़ता रहता है। अतएव, यह अभियोजन पर है कि वह यह सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करे कि प्रश्नगत अग्न्यायुध इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत एक प्रतिषिद्ध आयुध की श्रेणी में आता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, अभियोजन इस भार को उन्मोचित करने में विफल रहा है। न तो कोई प्रक्षेपिकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभिलेख पर लाई गई है और न ही बरामदशुदा हथियार की प्रकृति के संबंध में कोई तकनीकी विनिर्देश या दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। यह प्रतीत होता है कि चालान आवश्यक आधारभूत दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किया गया था और यदि ऐसे कोई दस्तावेज थे भी, तो उन्हें विचारण के दौरान पेश नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के लिए यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद हथियार प्रतिषिद्ध आयुधों के दायरे में आता है। ऐसे प्रमाण के अभाव में, आयुध अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप पोषणीय नहीं हो सकता है। आयुध अधिनियम के तहत हथियारों की अन्य श्रेणियों के लिए उपबंध मौजूद हैं, जिनके लिए इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दंड अधिरोपित किया जा सकता है, किंतु अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नहीं।

5.9 इस न्यायालय का यह मानना है कि विद्वान न्यायाधीश ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला आयुध अधिनियम की धारा 3 के बजाय आयुध अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत क्यों आएगा। मेरा यह दृढ़ मत है कि धारा 7 के तहत किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए, ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य-जैसे कि प्रक्षेपिकी विशेषज्ञ या किसी प्रमाणित प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभिगृहीत वस्तु धारा 2(1)(i) के तहत परिभाषित प्रतिषिद्ध आयुध के मानदंडों को पूरा करती है। गोला-बारूद के संबंध में किसी भी निश्चित निष्कर्ष या विशेष विवरण के अभाव में, धारा 7 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने वास्तव में हथियार की विनिर्दिष्ट प्रकृति को जाने बिना अपीलार्थी को धारा 7 के तहत दोषसिद्ध करने में विधि और तथ्य की त्रुटि की है और इसलिए यह दोषसिद्धि विधिक रूप से संधार्य नहीं है। अपीलार्थी आयुध अधिनियम की धारा 7 के आरोप से दोषमुक्त किए जाने का पात्र है।

6. अगला प्रश्न अपीलार्थी को दंडित करने के लिए लागू उपबंध से संबंधित है। गोला-बा की बरामदगी पर्याप्त सामग्री के माध्यम से सिद्ध हो चुकी है। मेरा यह विचार है कि अपीलार्थी का बिना वैध अनुज्ञप्ति के हथियार रखने का कृत्य, आयुध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक अपराध का गठन करता है, जो इसी अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय है।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, अपील सफल होती है। अपीलार्थी की आयुध अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है; और इसके बजाय उसे आयुध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

8. चूँकि धारा 7 के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जा चुकी है, उस धारा के अंतर्गत दंड का तत्संबंधी भाग स्वतः व्यपगत हो जाता है। अपीलार्थी अब आयुध अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

9. दंड के प्रश्न पर मैंने अपीलार्थी एवं राज्य के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

10. यह अभिवाक् किया गया कि अपीलार्थी को किसी पूर्व मामले में कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 27 से यह सत्यापित किया है कि वह वर्ष 2016 से विचारण की कठोरता का सामना कर रहा है। अपराध के समय

वह लगभग 21 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था। आयुध अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 25 तीन वर्ष से अधिक के कारावास का उपबंध नहीं करती है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और 5 के उपबंध पूरी तरह से लागू होते हैं। सीआरपीसी की धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह यह स्पष्ट करे कि ऐसे मामलों में जहाँ सजा सात वर्ष से अधिक नहीं है, परिवीक्षा का लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता है। सुधारात्मक दंडादेश सिद्धांतों के आगमन और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधिनियमिति के साथ, विचारण न्यायालय को किसी भी अभिभावी या असाधारण कारणों के अभाव में परिवीक्षा का लाभ देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। विचारण शुरू हुए नौ वर्ष बीत चुके हैं। अपीलार्थी से अब सीमित अवधि के लिए शांति और सदाचार बनाए रखने हेतु मुचलका पेश करने की अपेक्षा करना न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। वह पहले ही अभिरक्षा में लगभग दो वर्ष और चार महीने की अवधि भुगत चुका है। अपराध के समय उसकी कम उम्र, कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न होने और विचारण के लंबे समय तक लंबित रहने को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि पहले ही भुगती जा चुकी सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

11. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आयुध अधिनियम की धारा सपठित धारा 25 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 25 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और उसकी सजा को पहले से भुगती गई सजा से कम कर दिया जाता है।

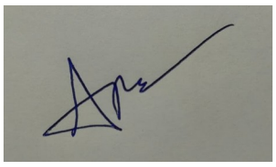
12. चूंकि अपीलार्थी के जेल में होने की सूचना है, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि उसे इस मामले में तुरंत रिहा कर दिया जाए। उसकी तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जिला कारागार, श्री गंगानगर/ केंद्रीय कारागार, बीकानेर को इस आशय की एक अध्यपेक्षा प्रेषित की जाए।

13. अभिलेख पुनः प्रेषित किया जाए।

(फरजंद अली),जे

5-संवेदना/-

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान